स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: आदेश ::-

क्रमांक / 4026 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016-17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012, अधिसूचना क्रमांक /पंचा-142/ पंग्राविवि /22/2012/1563 दिनांक 19.11.2012 एवं पत्र क्रमांक 172/अमुस/पंग्राविवि/2016 दिनांक 17.05.2016 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार, मेरिट सूची अनुसार निम्न उम्मीदवारो को कॉलम क्रमांक 04 में दर्शित शाला में पदभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 में अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। संलग्न प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा। सत्यापन में त्रुटि/असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तदैव निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।

क.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रवर्ग	पदांकित शाला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	संकाय
1	2	3	4	5	6
1	श्री देवव्रत पंत	अपिव	शा.उ.मा.वि. छोटेड़ोगर	नारायणपुर	वाणिज्य
2	कु. ईश्वरी	अजजा	शा.उ.मा.वि. बिंजली	नारायणपुर	वाणिज्य
3	कु.रेणुका ठाकुर	अजजा	शा.उ.मा.वि. बेनूर	नारायणपुर	वाणिज्य

नियुक्ति की शर्ते :-

1. उपरोक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) 2012 के अधीन रहेगी।
2. **परिवीक्षा** - व्याख्याता पंचायत के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि व्याख्याता पंचायत की पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सकें।
3. अनुशासन एवं नियंत्रण व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण मे रहेगें।
4. **सेवा समाप्ति** - ऐसे व्याख्याता पंचायत की जो स्थायी सेवा मे न हो सेवायें या जो व्याख्याता पंचायत द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वाधीन होगी।
5. **सामान्य सेवा शर्ते** - व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तो से भिन्न सेवा शर्ते यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान ही होगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग ,भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा मे छुट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है।
7. पदभार ग्रहण करते समय **जिला मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी **फिटनेस प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दृष्टि से चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता पाई गई है उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. नियुक्त अभ्यिर्थियो का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराए गए चरित्र सत्यापन मे यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकुल अपराधिक टिप्पणी दर्ज की जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यावाही की जायेगी।

9. नियुक्त अभ्यिर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधिक रूप से नियुक्ति के समय की गई है। यदि बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास, अनुभव आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश मे लाए जाते है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किय जायेगा तथा विचारोपरांत बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

10. सेवा पुस्तिका का संधारण– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाले अधिकारी को इस आदेश की नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तो का समावेश सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के रूप में दर्ज कर प्रमाणित करेगें तथा सेवा पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से व्याख्याता पंचायत लिखा जावे। चूंकि व्याख्याता पंचायत अलग संवर्ग है, इसकी वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी रिकार्ड की एक अलग पंजी संधारित की जावें।

11. नियुक्त अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ.,ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकन के पश्चात् समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु संबंधित कार्यालय में जमा की जावेगी।

12. यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए एक शाला विशेष के लिये होगी । अतः इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास अथवा किसी प्रकार की अनुसंशा मान्य नही होगी।

13. शाला में पद भार ग्रहण करने के पश्चात् इसमें कोई परिवर्तन संभव नही है।

14. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

15. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।

16. नियुक्ति आदेश के परिपालन में व्याख्याता पंचायत को निर्धारित पदस्थापना स्थान पर दिनांक 17.10.2016 तक अनिवार्यतः कर्तव्यस्थ हो जाना चाहिए अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(आप अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा कार्यालय में देवे)

06/10/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क0/ 4027 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016–17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव छत्तीसगढ़, शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. कलेक्टर जिला नारायणपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को नियुक्ति आदेश की कण्डिका 08 में उल्लेखित शर्त के अनुरूप कार्यवाही हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर।
8. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन नारायणपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता पंचायत के सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके द्वारा संस्था में पदभार ग्रहण करने की सूचना एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः इस कार्यालय को देवें। जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियम के आधार पर हुआ है एवं उच्च स्तरीय जाति

प्रमाण पत्र छानबीन समिति से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये हैं, उनके वेतन का आहरण तब तक न किया जावे, जब तक उनके द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत न कर दी जावे।

13. प्राचार्य हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल.....जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.....को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: आदेश ::-

कमांक/ 4028 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016-17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना कमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012, अधिसूचना कमांक /पंचा-142/ पंग्राविवि /22/2012/1563 दिनांक 19.11.2012 एवं पत्र कमांक 172/अमुस/पंग्राविवि/2016 दिनांक 17.05.2016 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार, मेरिट सूची अनुसार निम्न उम्मीदवारो को कॉलम कमांक 04 में दर्शित शाला में पदभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 में अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। संलग्न प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा। सत्यापन में त्रुटि/असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तदैव निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।

क.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रवर्ग	पदांकित शाला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	संकाय
1	2	3	4	5	6
1	श्री कमल किशोर साहू	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. धौड़ाई	नारायणपुर	अंग्रेजी
2	श्री हेमन्त कुमार देहारी	अजजा	शा.उ.मा.वि. कोहकामेटा	ओरछा	अंग्रेजी
3	श्री डेमन लाल गौरे	अजजा	शा.उ.मा.वि. ओरछा	ओरछा	अंग्रेजी
4	कु.राधा उसेण्डी	अजजा	शा.उ.मा.वि. बिंजली	नारायणपुर	अंग्रेजी

नियुक्ति की शर्ते :-

1. उपरोक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) 2012 के अधीन रहेगी।
2. **परिवीक्षा** - व्याख्याता पंचायत के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि व्याख्याता पंचायत की पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सकें।
3. अनुशासन एवं नियंत्रण व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण मे रहेगें।
4. **सेवा समाप्ति** - ऐसे व्याख्याता पंचायत की जो स्थायी सेवा मे न हो सेवायें या जो व्याख्याता पंचायत द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वाधीन होगी।
5. **सामान्य सेवा शर्ते** - व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तो से भिन्न सेवा शर्ते यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान ही होगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग ,भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा मे छुट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है।
7. पदभार ग्रहण करते समय **जिला मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी **फिटनेस प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दृष्टि से चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता पाई गई है उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. नियुक्त अभ्यिर्थियो का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराए गए चरित्र सत्यापन मे यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकुल अपराधिक टिप्पणी दर्ज की जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यावाही की जायेगी।
9. नियुक्त अभ्यिर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधिक रूप से नियुक्ति के समय की गई है। यदि बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास, अनुभव आदि में कोई बिसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश मे लाए जाते है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किय जायेगा तथा विचारोपरांत बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
10. सेवा पुस्तिका का संधारण– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाले अधिकारी को इस आदेश की नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तो का समावेश सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के रूप में दर्ज कर प्रमाणित करेगें तथा सेवा पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से व्याख्याता पंचायत लिखा जावे। चूंकि व्याख्याता पंचायत अलग संवर्ग है, इसकी वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी रिकार्ड की एक अलग पंजी संधारित की जावें।
11. नियुक्त अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का. अ.,ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकन के पश्चात् समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु संबंधित कार्यालय में जमा की जावेगी।
12. यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए एक शाला विशेष के लिये होगी । अतः इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास अथवा किसी प्रकार की अनुसंशा मान्य नही होगी।
13. शाला में पद भार ग्रहण करने के पश्चात् इसमें कोई परिवर्तन संभव नही है।
14. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
15. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।
16. नियुक्ति आदेश के परिपालन में व्याख्याता पंचायत को निर्धारित पदस्थापना स्थान पर दिनांक 17.10.2016 तक अनिवार्यतः कर्तव्यस्थ हो जाना चाहिए अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(आप अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा कार्यालय में देवे)

6/10/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क0/ 4029 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016–17 नारायणपुर दिनांक 6 .10.2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव छत्तीसगढ़, शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. कलेक्टर जिला नारायणपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को नियुक्ति आदेश की कण्डिका 08 में उल्लेखित शर्त के अनुरूप कार्यवाही हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर।
8. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन नारायणपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता पंचायत के सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके द्वारा संस्था में पदभार ग्रहण करने की सूचना एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः इस कार्यालय को देवें। जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियम के आधार पर हुआ है एवं उच्च स्तरीय जाति

प्रमाण पत्र छानबीन समिति से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये हैं, उनके वेतन का आहरण तब तक न किया जावे, जब तक उनके द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत न कर दी जावे।

13. प्राचार्य हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल.....जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.....को सूचनार्थ।

6/9/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: आदेश ::-

कमांक/ 4022 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016-17 नारायणपुर दिनांक 6 .10.2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना कमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012, अधिसूचना कमांक /पंचा-142/ पंग्राविवि /22/2012/1563 दिनांक 19.11.2012 एवं पत्र कमांक 172/अमुस/पंग्राविवि/2016 दिनांक 17.05.2016 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार, मेरिट सूची अनुसार निम्न उम्मीदवारो को कॉलम कमांक 04 में दर्शित शाला में पदभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 में अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। संलग्न प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा। सत्यापन में त्रुटि/असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तदैव निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।

क.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रवर्ग	पदांकित शाला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	संकाय
1	2	3	4	5	6
1	कु. चन्द्रप्रभा ठाकुर	अजजा	हाई स्कूल कुरूषनार	ओरछा	जीव विज्ञान
2	कु. प्रगति मीनू छत्तर	अजजा	शा.उ.मा.वि. ओरछा	ओरछा	जीव विज्ञान

नियुक्ति की शर्ते :-

1. उपरोक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) 2012 के अधीन रहेगी।
2. **परिवीक्षा** - व्याख्याता पंचायत के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि व्याख्याता पंचायत की पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सकें।
3. अनुशासन एवं नियंत्रण व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण मे रहेगें।
4. **सेवा समाप्ति** - ऐसे व्याख्याता पंचायत की जो स्थायी सेवा मे न हो सेवायें या जो व्याख्याता पंचायत द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वाधीन होगी।
5. **सामान्य सेवा शर्ते** - व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तो से भिन्न सेवा शर्ते यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान ही होगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग ,भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा मे छुट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है।
7. पदभार ग्रहण करते समय **जिला मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी **फिटनेस प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दृष्टि से चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता पाई गई है उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. नियुक्त अभ्यिर्थियो का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराए गए चरित्र सत्यापन मे यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकुल अपराधिक टिप्पणी दर्ज की जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यावाही की जायेगी।

9. नियुक्त अभ्यिर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधिक रूप से नियुक्ति के समय की गई है। यदि बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास, अनुभव आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश मे लाए जाते है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किय जायेगा तथा विचारोपरांत बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

10. सेवा पुस्तिका का संधारण– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाले अधिकारी को इस आदेश की नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तो का समावेश सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के रूप में दर्ज कर प्रमाणित करेगें तथा सेवा पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से व्याख्याता पंचायत लिखा जावे। चूंकि व्याख्याता पंचायत अलग संवर्ग है, इसकी वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी रिकार्ड की एक अलग पंजी संधारित की जावें।

11. नियुक्त अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का. अ.,ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकन के पश्चात् समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु संबंधित कार्यालय में जमा की जावेगी।

12. यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए एक शाला विशेष के लिये होगी । अतः इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास अथवा किसी प्रकार की अनुसंशा मान्य नही होगी।

13. शाला में पद भार ग्रहण करने के पश्चात् इसमें कोई परिवर्तन संभव नही है।

14. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

15. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।

16. नियुक्ति आदेश के परिपालन में व्याख्याता पंचायत को निर्धारित पदस्थापना स्थान पर दिनांक 17.10.2016 तक अनिवार्यतः कर्तव्यस्थ हो जाना चाहिए अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
(आप अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा कार्यालय में देवे)

06/10/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क0/ 4023 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016–17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव छत्तीसगढ़, शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. कलेक्टर जिला नारायणपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को नियुक्ति आदेश की कण्डिका 08 में उल्लेखित शर्त के अनुरूप कार्यवाही हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर।
8. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन नारायणपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता पंचायत के सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके द्वारा संस्था में पदभार ग्रहण करने की सूचना एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः इस कार्यालय को देवें। जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियम के आधार पर हुआ है एवं उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये हैं, उनके वेतन का आहरण तब तक न किया जावे, जब तक उनके द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत न कर दी जावे।

13. प्राचार्य हायर सेकेण्डरी / हाई स्कूल.....जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. संबंधित श्री / श्रीमती / कु.....को सूचनार्थ।

6/4/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: आदेश ::-

क्रमांक/ 4030 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016-17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012, अधिसूचना क्रमांक /पंचा-142/ पंग्राविवि /22/2012/1563 दिनांक 19.11.2012 एवं पत्र क्रमांक 172/अमुस/पंग्राविवि/2016 दिनांक 17.05.2016 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार, मेरिट सूची अनुसार निम्न उम्मीदवारो को कॉलम क्रमांक 04 में दर्शित शाला में पदभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 में अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। संलग्न प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा। सत्यापन में त्रुटि/असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तदैव निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रवर्ग	पदांकित शाला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	संकाय
1	2	3	4	5	6
1	कु. ज्योतिबाला	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. ओरछा	ओरछा	गणित
2	कु. कल्याणी साहू	अपिव	शा.उ.मा.वि. धौड़ाई	नारायणपुर	गणित
3	कु. मधु पिस्दा	अजजा	शा.उ.मा.वि. बेनूर	नारायणपुर	गणित
4	श्री ओम प्रकाश	अजजा	शा.उ.मा.वि.कोहकामेटा	ओरछा	गणित
5	श्री कमलेश कुमार	अजजा	शा.उ.मा.वि. छोटेड़ोगर	नारायणपुर	गणित

नियुक्ति की शर्ते :-

1. उपरोक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) 2012 के अधीन रहेगी।
2. **परिवीक्षा** - व्याख्याता पंचायत के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि व्याख्याता पंचायत की पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सकें।
3. अनुशासन एवं नियंत्रण व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण मे रहेगें।
4. **सेवा समाप्ति** - ऐसे व्याख्याता पंचायत की जो स्थायी सेवा मे न हो सेवायें या जो व्याख्याता पंचायत द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वाधीन होगी।
5. **सामान्य सेवा शर्ते** - व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तो से भिन्न सेवा शर्ते यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान ही होगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग ,भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा मे छुट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है।
7. पदभार ग्रहण करते समय **जिला मेडिकल बोर्ड,** द्वारा जारी **फिटनेस प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दृष्टि से चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता पाई गई है उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. नियुक्त अभ्यिर्थियो का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराए गए चरित्र सत्यापन मे यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकुल अपराधिक टिप्पणी दर्ज की जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यावाही की जायेगी।

9. नियुक्त अभ्यिर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधिक रूप से नियुक्ति के समय की गई है। यदि बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास, अनुभव आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश मे लाए जाते है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किय जायेगा तथा विचारोपरांत बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

10. सेवा पुस्तिका का संधारण– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाले अधिकारी को इस आदेश की नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तो का समावेश सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के रूप में दर्ज कर प्रमाणित करेगें तथा सेवा पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से व्याख्याता पंचायत लिखा जावे। चूंकि व्याख्याता पंचायत अलग संवर्ग है, इसकी वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी रिकार्ड की एक अलग पंजी संधारित की जावें।

11. नियुक्त अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ.,ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकन के पश्चात् समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु संबंधित कार्यालय में जमा की जावेगी।

12. यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए एक शाला विशेष के लिये होगी । अतः इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास अथवा किसी प्रकार की अनुसंशा मान्य नही होगी।

13. शाला में पद भार ग्रहण करने के पश्चात् इसमें कोई परिवर्तन संभव नही है।

14. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

15. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।

16. नियुक्ति आदेश के परिपालन में व्याख्याता पंचायत को निर्धारित पदस्थापना स्थान पर दिनांक 17.10.2016 तक अनिवार्यतः कर्तव्यस्थ हो जाना चाहिए अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(आप अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा कार्यालय में देवे)

6/10/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क0/ 4031 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016–17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव छत्तीसगढ़, शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. कलेक्टर जिला नारायणपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को नियुक्ति आदेश की कण्डिका 08 में उल्लेखित शर्त के अनुरूप कार्यवाही हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर।
8. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन नारायणपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता पंचायत के सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके द्वारा संस्था में पदभार ग्रहण करने की सूचना एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः इस कार्यालय को देवें। जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियम के आधार पर हुआ है एवं उच्च स्तरीय जाति

प्रमाण पत्र छानबीन समिति से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये हैं, उनके वेतन का आहरण तब तक न किया जावे, जब तक उनके द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत न कर दी जावे।

13. प्राचार्य हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल.....जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.....को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: आदेश ::-

क्रमांक/ 4020 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016-17 नारायणपुर दिनांक 6 .10.2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012, अधिसूचना क्रमांक /पंचा-142/ पंग्राविवि /22/2012/1563 दिनांक 19.11.2012 एवं पत्र क्रमांक 172/अमुस/पंग्राविवि/2016 दिनांक 17.05.2016 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार, मेरिट सूची अनुसार निम्न उम्मीदवारो को कॉलम क्रमांक 04 में दर्शित शाला में पदभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 में अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। संलग्न प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा। सत्यापन में त्रुटि/असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तदैव निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रवर्ग	पदांकित शाला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	संकाय
1	2	3	4	5	6
1	श्री दिवस कुमार यादव	अपिव	शा.उ.मा.वि. महिमागवाड़ी	नारायणपुर	भौतिक शास्त्र
2	श्री राजेन्द्र कुमार पोटाई	अजजा	शा.उ.मा.वि. धौड़ाई	नारायणपुर	भौतिक शास्त्र

नियुक्ति की शर्ते :-

1. उपरोक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) 2012 के अधीन रहेगी।
2. **परिवीक्षा** - व्याख्याता पंचायत के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि व्याख्याता पंचायत की पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सकें।
3. अनुशासन एवं नियंत्रण व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण मे रहेगें।
4. **सेवा समाप्ति** - ऐसे व्याख्याता पंचायत की जो स्थायी सेवा मे न हो सेवायें या जो व्याख्याता पंचायत द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वाधीन होगी।
5. **सामान्य सेवा शर्ते** - व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तो से भिन्न सेवा शर्ते यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान ही होगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग ,भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा मे छुट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है।
7. पदभार ग्रहण करते समय **जिला मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी **फिटनेस प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दृष्टि से चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता पाई गई है उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. नियुक्त अभ्यिर्थियो का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराए गए चरित्र सत्यापन मे यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकुल अपराधिक टिप्पणी दर्ज की जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

9. नियुक्त अभ्यिर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधिक रूप से नियुक्ति के समय की गई है। यदि बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास, अनुभव आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश मे लाए जाते है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किय जायेगा तथा विचारोपरांत बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

10. सेवा पुस्तिका का संधारण– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाले अधिकारी को इस आदेश की नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तो का समावेश सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के रूप में दर्ज कर प्रमाणित करेगें तथा सेवा पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से व्याख्याता पंचायत लिखा जावे। चूंकि व्याख्याता पंचायत अलग संवर्ग है, इसकी वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी रिकार्ड की एक अलग पंजी संधारित की जावें।

11. नियुक्त अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का. अ.,ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकन के पश्चात् समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु संबंधित कार्यालय में जमा की जावेगी।

12. यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए एक शाला विशेष के लिये होगी । अतः इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास अथवा किसी प्रकार की अनुसंशा मान्य नही होगी।

13. शाला में पद भार ग्रहण करने के पश्चात् इसमें कोई परिवर्तन संभव नही है।

14. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

15. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।

16. नियुक्ति आदेश के परिपालन में व्याख्याता पंचायत को निर्धारित पदस्थापना स्थान पर दिनांक 17.10.2016 तक अनिवार्यतः कर्तव्यस्थ हो जाना चाहिए अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(आप अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा कार्यालय में देवे)

6/x/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क0/ 4021 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016–17 नारायणपुर दिनांक 6 .10.2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव छत्तीसगढ़, शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. कलेक्टर जिला नारायणपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को नियुक्ति आदेश की कण्डिका 08 में उल्लेखित शर्त के अनुरूप कार्यवाही हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर।
8. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन नारायणपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता पंचायत के सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके द्वारा संस्था में पदभार ग्रहण करने की सूचना एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः इस कार्यालय को देवें। जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियम के आधार पर हुआ है एवं उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये हैं, उनके वेतन का आहरण तब तक न किया जावे, जब तक उनके द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत न कर दी जावे।

13. प्राचार्य हायर सेकेण्डरी / हाई स्कूल.....जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. संबंधित श्री / श्रीमती / कु.....को सूचनार्थ।

6/10/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: आदेश ::-

क्रमांक / 4024 / जि0पं0 / शि.स्था. / व्या. / 2016-17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक / पंचा / पंग्राविवि / 22 / 2012 / 1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012, अधिसूचना क्रमांक / पंचा-142 / पंग्राविवि / 22 / 2012 / 1563 दिनांक 19.11.2012 एवं पत्र क्रमांक 172 / अमुस / पंग्राविवि / 2016 दिनांक 17.05.2016 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार, मेरिट सूची अनुसार निम्न उम्मीदवारो को कॉलम क्रमांक 04 में दर्शित शाला में पदभार ग्रहण करने की तिथि से व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान रूपये 5300-150-8300 में अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। संलग्न प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा। सत्यापन में त्रुटि / असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तदैव निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी।

क.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रवर्ग	पदांकित शाला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	संकाय
1	2	3	4	5	6
1	कु. नीलिमा साहू	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. बेनूर	नारायणपुर	रसायन
2	श्री नवीन वर्मा	अपिव	शा.उ.मा.वि. महिमागवाड़ी	नारायणपुर	रसायन
3	कु. सुमन नायक	अजजा	शा.उ.मा.वि. धौड़ाई	नारायणपुर	रसायन
4	कु. वर्षा नेताम	अजजा	आ.क.शि.परि.भाटपाल	नारायणपुर	रसायन
5	श्री सुनील कुमार	अजजा	शा.उ.मा.वि. ओरछा	ओरछा	रसायन

नियुक्ति की शर्ते :-

1. उपरोक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) 2012 के अधीन रहेगी।
2. **परिवीक्षा** - व्याख्याता पंचायत के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारंभ में स्कूल विशेष के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाता है, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा जिससे कि व्याख्याता पंचायत की पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सकें।
3. अनुशासन एवं नियंत्रण व्याख्याता पंचायत यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण मे रहेगें।
4. **सेवा समाप्ति** - ऐसे व्याख्याता पंचायत की जो स्थायी सेवा मे न हो सेवायें या जो व्याख्याता पंचायत द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास का वेतन तथा भत्ते के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जाने के दायित्वाधीन होगी।
5. **सामान्य सेवा शर्ते** - व्याख्याता पंचायत को ऊपर वर्णित शर्तो से भिन्न सेवा शर्ते यथास्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान ही होगी।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग ,भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा मे छुट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है।
7. पदभार ग्रहण करते समय **जिला मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी **फिटनेस प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दृष्टि से चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता पाई गई है उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. नियुक्त अभ्यिर्थियो का पुलिस विभाग द्वारा अलग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस विभाग से कराए गए चरित्र सत्यापन मे यदि उनके चरित्र संबंधी कोई प्रतिकुल अपराधिक टिप्पणी दर्ज की जाती है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने की कार्यावाही की जायेगी।
9. नियुक्त अभ्यिर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रावधिक रूप से नियुक्ति के समय की गई है। यदि बाद में भी जाति, अंकसूची, निवास, अनुभव आदि में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्रों के तथ्य प्रकाश मे लाए जाते है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति निरस्त करने पर विचार किय जायेगा तथा विचारोपरांत बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
10. सेवा पुस्तिका का संधारण– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका संधारित करने वाले अधिकारी को इस आदेश की नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तो का समावेश सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के रूप में दर्ज कर प्रमाणित करेगें तथा सेवा पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से व्याख्याता पंचायत लिखा जावे। चूंकि व्याख्याता पंचायत अलग संवर्ग है, इसकी वरिष्ठता तथा सेवा संबंधी रिकार्ड की एक अलग पंजी संधारित की जावें।
11. नियुक्त अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ.,ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकन के पश्चात् समस्त दस्तावेजों की एक प्रति सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु संबंधित कार्यालय में जमा की जावेगी।
12. यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए एक शाला विशेष के लिये होगी । अतः इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास अथवा किसी प्रकार की अनुसंशा मान्य नही होगी।
13. शाला में पद भार ग्रहण करने के पश्चात् इसमें कोई परिवर्तन संभव नही है।
14. इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
15. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) कमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।
16. नियुक्ति आदेश के परिपालन में व्याख्याता पंचायत को निर्धारित पदस्थापना स्थान पर दिनांक 17.10.2016 तक अनिवार्यतः कर्तव्यस्थ हो जाना चाहिए अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(आप अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा कार्यालय में देवे)

6/x/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ0क0/ 4025 /जि0पं0/शि.स्था./व्या./2016–17 नारायणपुर दिनांक 06.10.2016

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफीसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव छत्तीसगढ़, शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. कलेक्टर जिला नारायणपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर को नियुक्ति आदेश की कण्डिका 08 में उल्लेखित शर्त के अनुरूप कार्यवाही हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर।
8. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन नारायणपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन अति मु.का.अ., ज.पं. नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ। संबंधित व्याख्याता पंचायत के सत्यापन एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके द्वारा संस्था में पदभार ग्रहण करने की सूचना एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः इस कार्यालय को देवें। जिन अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण नियम के आधार पर हुआ है एवं उच्च स्तरीय जाति

प्रमाण पत्र छानबीन समिति से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये हैं, उनके वेतन का आहरण तब तक न किया जावे, जब तक उनके द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत न कर दी जावे।

13. प्राचार्य हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल.....जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.....को सूचनार्थ।

6/12/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर